प्रैस विज्ञप्ति

दिनांक: 06.10.2020

मोबाइल की दुकान का शटर तोड़कर चोरी की घटना कारित करने वाले 02 शातिर चोर थाना रामघाट पुलिस द्वारा गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया शत-प्रतिशत सामान व अवैध असलहा बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक देहात श्री हरेन्द्र सिंह के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी डिबाई सुश्री वन्दना शर्मा के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 05.10.2020 की रात्रि में थाना प्रभारी रामघाट श्री बच्चू सिंह मय पुलिस फोर्स के क्षेत्र में देख-रेख शान्ति व्यवस्था एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कस्बा रामघाट स्थित मोबाइल की दुकान में चोरी करने वाले दो शातिर चोर तिराहा घडे वाले बाबा के आश्रम के पास जंगल से निकलकर चोरी के सामान सहित ग्राम गोकुलपुर की तरफ पैदल-पैदल जा रहे है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी रामघाट मय फोर्स के ग्राम गोकुलपुर से आधा किलोमीटर पहले चैकिंग करने लगे। कुछ देर बाद दो व्यक्ति हाथों में थैला लिये हुए आते दिखाई दिये जिनको पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर चोरी किये गये शत-प्रतिशत सामान व अवैध असलहा सहित समय करीब रात्रि 23:00 बजे गिरफ्तार करने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. राजेश उर्फ लुक्का पुत्र हरप्रसाद निवासी सकरोरा खादर थाना गुन्नौर जनपद सम्भल।
2. रौदास पुत्र ऋषिपाल सिंह निवासी शिवपुरी कॉलोनी बबराला थाना गुन्नौर जनपद सम्भल।

बरामदगी-

1- 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस, 01 छुरी नायाजय

2- चोरी किया गया 01 लेपटॉप

3- चोरी किये गये 40 मोबाइल फोन विभिन्न कम्पनियों के

4- चोरी किये गये 1500 रुपये नगद

गिरफ्तार दोनों अभियुक्तगण शातिर किस्म के चोर है जिसके द्वारा दुकानों/मकानों के ताले तोड़कर चोरी करने की घटनाएं कारित की जाती है। अभियुक्तों द्वारा थाना रामघाट क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 30.09.2020 की रात्रि में वादी धर्मेन्द्र कुमार पुत्र भोजराज सिंह निवासी जाटनी नगला थाना रामघाट जनपद बुलन्दशहर की कस्बा रामघाट शर्मा मार्केट में स्थित मोबाइल फोन की दुकान का शटर तोड़कर 01 लेपटॉप, 40 मोबाइल फोन व 1500 रुपये नकद चोरी करने की घटना कारित की गई थी जिसके संबंध में थाना रामघाट पर मुअसं-140/20 धारा 380 भादवि पंजीकृत है। अभियुक्तों के विरुद्ध निम्न अभियोग पंजीकृत है-

अभियुक्त राजेश उर्फ लुक्का का आपराधिक इतिहास-

1- मुअसं-408/14 धारा 411/414 भादवि थाना गुन्नौर जनपद सम्भल।

2- मुअसं-409/14 धारा 4/25 भादवि थाना गुन्नौर जनपद सम्भल।

3- मुअसं-140/20 धारा 380 भादवि थाना रामघाट जनपद बुलन्दशहर।

4- मुअसं-143/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना रामघाट जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त रौदास का आपराधिक इतिहास-

1- मुअसं-140/20 धारा 380 भादवि थाना रामघाट जनपद बुलन्दशहर।

2- मुअसं-144/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना रामघाट जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध मे थाना रामघाट पर मुअसं-143/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 एवं मुअसं-144/20 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नाम-

1- श्री बच्चू सिंह थाना प्रभारी रामघाट।

2- उ0नि0 पुरन सिंह, उ0नि0 बुद्धि प्रकाश गौतम

3- का0 पंकज राणा, का0 नरेन्द्र कुमार, का0 दुर्गेश कुमार, का0चालक सोहनपाल